

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

पत्रांक: यो0ले03/3-30/2024-
सेवा में,

/यो0वि0,पटना,दिनांक

सितम्बर, 2025

महालेखाकार (ले0 एवं ह0)

वीरचन्द पटेल पथ, पटना

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 अंतर्गत अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्यालय के कार्यालय अंतर्गत विषय शीर्ष 13-01 कार्यालय व्यय (फर्नीचर एवं उपस्कर) हेतु कुल ₹ 1,00,000/- (एक लाख रुपये) मात्र की राशि के व्यय एवं विमुक्ति की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 अंतर्गत अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्यालय अंतर्गत सारणी में नाम के सम्मुख अंकित राशि स्वीकृत करते हुए विषय शीर्ष 13-01 कार्यालय व्यय (फर्नीचर एवं उपस्कर) हेतु कुल ₹ 1,00,000/- (एक लाख रुपये) मात्र की राशि के व्यय एवं विमुक्ति की स्वीकृति दी जाती है :-

क्र0	कार्यालय का नाम	अधियाचित राशि
1	अधीक्षण अभियंता कार्यालय, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, मगध प्रमंडल-गयाजी	₹ 1,00,000/-
कुल स्वीकृत राशि		₹ 1,00,000/- (एक लाख रुपये) मात्र

2. उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2053-जिला प्रशासन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-094-अन्य स्थापनाएँ, मांग संख्या-35, उपशीर्ष-0109-योजना यंत्र का सुदृढ़ीकरण जिला स्तरीय योजना के तहत स्थानीय आवश्यकताओं के आलोक में, विषय शीर्ष-1301 कार्यालय व्यय के अंतर्गत स्वीकृत राशि विपत्र कोड 35-2053000940109 के अंतर्गत विकलनीय होगी, जिसके अंतर्गत बजट उपबंध है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, मगध प्रमंडल-गयाजी होंगे।

4. उक्त राशि के व्यय एवं विमुक्ति की स्वीकृति उपरोक्त सारणी में वर्णित कार्यालय के मांग के आलोक में (फर्नीचर एवं उपस्कर) दी गई है। इसी अनुरूप उनके द्वारा राशि का उपयोग किया जाएगा। किसी अन्य मद में इस राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

5. राशि की निकासी एवं व्ययन करने में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों (अद्यतन) का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

1. T. Manger

6. अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, मगध प्रमंडल-गयाजी किये गये व्यय का प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करेंगे।

7. प्रस्ताव पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(डा० नित्यानन्द सिंह)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक: यो0ले03/3-30/2024-

/यो0वि0,पटना,दिनांक

सितम्बर, 2025

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, गयाजी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक: यो0ले03/3-30/2024-

684180

/यो0वि0,पटना,दिनांक

19. सितम्बर, 2025

प्रतिलिपि:

वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना/जिला पदाधिकारी, गयाजी/अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, मगध प्रमंडल-गयाजी/विभागीय बजट शाखा/आई टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस स्वीकृति को विभाग के साईट पर अपलोड कर दें।

18.9.25

सरकार के उप सचिव